

- ऐसी आशंका जाहरी की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
- संवधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दशा-निर्देश नहीं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कतिने समय तक किसी विधायक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रपरिषद की सफारिशों का आधार बनाती है।

कनि सुधारों का सुझाव दिया गया है?

- **राज्यपाल की नियुक्ति और नषिकासन के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभयिग चलाने का प्रावधान संवधान में शामिल किया जाना चाहिये।
 - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।
- **अनुच्छेद-356 के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सफारिश की थी।
 - 'सरकारिया आयोग' (1988) ने सफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विकल्प तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब संवधानिक तंत्र को बहाल करना अपरहार्य हो गया हो।
 - इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वि. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सफारिशें की हैं।
- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में:**
 - **एस.आर. बोमई मामला (1994):** इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
 - नरिणय के मुताबकि, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।
- **वविकाधीन शक्तियों के संबंध में:**
 - नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमति है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

आगे की राह

- **संघवाद का सुदृढीकरण:** राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार:** राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किये गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वही वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार को।
- **राज्यपाल के लिये आचार संहति:** इस 'आचार संहति' में कुछ 'मानदंड और सदिधांत' निर्धारित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के 'वविक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस